यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, उप जिलाधिकारी, भगवानपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय, प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, उप जिलाधिकारी, भगवानपुर के माह स्थापना (04/2017) से 10/2020 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री विजय कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, श्री खजान सिंह एवं श्री कुलदीप कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 06.11.2020 से 12.11.2020 तक श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग-प्रथम

परिचयात्मक- इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी।

वर्तमान में माह 04/2017 से 10/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र- भगवानपुर, हरिद्वार।

(ii) (अ) विगत वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत्त हैः-

(रू लाख में)

	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैरस्थापना		आधिक्य (+)	बचत
	स्थापना	गैर-स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2017-18	-	-	224.40	224.40	02.94	02.94	-	00
2018-19	-	-	349.22	349.22	11.23	11.23	-	00
2019-20	-	-	344.98	344.98	08.09	08.09	-	00
2020-21 (10/20)	-	-	222.20	222.20	06.53	02.40	-	04.13

(ब) केन्द्र पुरोनिर्धारित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय का विवरण निम्नवत् हैः-

(रू लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	बचत
2017-18					
2018-19		-	शून्य		
2019-20		-	शून्य		
2020-21 (10/20)		शून्य			

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इकाई कार्यालय, उप जिलाधिकारी, भगवानपुर 'सी'श्रेणी की है। इकाई का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

उप जिलाधिकारी
तहसीलदार
नायब तहसीलदार
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
वसिल वाकी नवीस
पेशकार उप जिलाधिकारी
रजिस्ट्रार कानूनगो

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय, उप जिलाधिकारी, भगवानपुर की लेखापरीक्षा में लेन-देन कम अनुपालन को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, उप जिलाधिकारी, भगवानपुर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 02/2018 एवं 12/2019 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971(डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-II 'अ'</u>

.....शून्य.....

भाग-दो 'ब'

प्रस्तर 01- राजस्व प्राप्ति, अर्जित ब्याज एवं अनविज्ञ मदों की कुल धनराशि रू 41.12 लाख बैंक खाते में अवरूद्ध रखना।

शासन के पत्रांक 3 सितम्बर, 2009 में स्पष्ट उल्लेख है कि विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं की एक बड़ी धनराशि बैंकों में जमा(Park) की जाती रही है। यह प्रक्रिया भारत के संविधान के अनुच्छेद 283(2) के अधीन श्री राज्यपाल द्वारा बनाये गये कोषागार नियम-9 तथा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड़-5 भाग-1 के प्रस्तर-21 व 22-बी के विपरीत है तथा यदि किसी विशिष्ट कारणों के कारण समेकित निधि से आहरित धनराशि का उपभोग न किया जा सके तथा उस पर ब्याज अर्जित हो, तब इस प्रकार अर्जित धनराशि राजकोष में लेखाशीर्षक-0049 ब्याज प्राप्तियों में जमा किया जाये।

कार्यालय, उप जिलाधिकारी, भगवानपुर के बैंक खाते के स्टेटमेंट तथा सम्बंधित अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि कार्यालय द्वारा जिला सहकारी बैंक लि0 भगवानपुर में खाता संख्या-535001100025 का संचालन किया जा रहा था जो खाता तहसीलदार के पदनाम से था। उक्त खातें में 09 नवम्बर, 2020 को रू 5688954/ जमा था अर्थात उक्त तिथि को खाते का अंतिम अवशेष था, जिसमें से रू 28,37,846/ की धनराशि दैवीय आपदा मद एवं कोविड-19 से सम्बंधित थी जिसका वर्तमान में भुगतान किया जाना था तथा शेष धनराशि रू 28,51,108/ विगत वर्षो से अर्जित ब्याज तथा अनविज्ञ मदों की थी। इसी क्रम में कार्यालय द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, भगवानपुर में खाता संख्या-35059861101 का संचालन किया जा रहा था जो खाता तहसीलदार के पदनाम से था। उक्त खातें में 07 नवम्बर, 2020 को रू 1260968/ खाते का अंतिम अवशेष था। उक्त जमा धनराशि में से रू 1200000/ ग्राम खेलपुर नसरूल्लापुर परगना व तहसील भगवानपुर में कब्रिस्तान एवं तालाब पर खडे यू0के0 लिप्टिस के 404 पेड एवं पोपलर के 74 पेड़ अर्थात कुल 478 पेड़ों की नीलामी से प्राप्त धनराशि थी जिसको जिला भूमि व्यवस्था अधिकारी हरिद्वार के खाते में जमा की जानी थी तथा शेष धनराशि रू 60968/ संग्रह अनुभाग की राजस्व प्राप्ति की धनराशि थी।

अर्थात् उक्त दोनो खातों में अनविज्ञ मदों एवं पेंडों की नीलामी से प्राप्त राजस्व व अन्य राजस्व की कुल धनराशि रू 41,12,076/ (रू 28,51,108+ रू1260968) विगत वर्षो से खातों में अवरूद्ध पड़ी थी जिसका उक्त शासनादेश के अनुसार निस्तारण किया जाना चाहिए था जो लेखापरीक्षा तिथि तक नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा उपर्युक्त के सम्बंध में इंगित किये जाने पर इकाई ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने प्रतिउत्तर में बताया कि उक्त राजस्व प्राप्ति को चालान के माध्यम से राजकोष में जमा करा दिया जायेगा तथा उक्त अर्जित एवं अनविज्ञ मदों की धनराशि के सम्बंध में उच्चाधिकारी से पत्राचार करके तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी और लेखापरीक्षा को भी अवगत करा दिया जायेगा।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-2 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-2 'ब' प्रस्तर संख्या	**STAN**
प्रथम लेखापरीक्षा	-	प्रथम लेखापरीक्षा	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			-	
प्रथम लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी				

भाग-IV

इकाई के सर्वोतमकार्यः-शून्य

भाग-V

आभार

1- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय, उप जिलाधिकारी, भगवानपुर तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- शून्य

2- सतत् अनियमितायेः- शून्य

3- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष/डी0डी0ओ0 का कार्यभार वहन किया गया-

क्र.सं.	नाम	प्दनाम	अवधि	
			कब से	कब तक
1	श्री अनिल सिंह गर्ब्याल	उप जिलाधिकारी	25.09.2016	31.07.2017
2	श्री दीपेन्द्र सिंह नेगी	उप जिलाधिकारी	01.08.2017	08.03.2019
3	श्री सन्तोष कुमार पाण्डेय	उप जिलाधिकारी	08.03.2019	वर्तमानतक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय, उपजिलाधिकारी, भगवानपुर को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/ए0एम0जी0-III को प्रेषित कर दी जाय।

वरि0 लेखापरीक्षा अधिकारी/ए0एम0जी0-III